(2) Allahabad Bank and Allbank Finance Ltd.
(3) Canara Bank and its subsidiaries viz., Canbank Mutual Fund (CB MF) and the Canbank Financial Services Ltd.
(4) SBI Capital Markets Ltd.
(5) Syndicate Bank.
(6) State Bank of Saurashtra.
(7) Bank of India Finance Ltd; and
(8) State Bank of Patiala.

Except in the State Bank of Patiala in which Special Officer has been recently appointed, in all other cases, reports have been submitted by the Special Officers to RBI.

The reports submitted by the Special Officers were examined by RBI and action has been initiated by the banks concerned on the basis of the Special Officers, Report. The reports of the Special Officers have also been forwarded to CBI for investigation where-ever considered necessary for fixing criminal culpability on the part of the individual executives.

Reports of the Special Officers being investigation reports have been forwarded to CBI for appropriate action. The action taken on the reports of the Special Officers is included in the Action Taken Report on the recommendation of the Joint Parliamentary Committee which enquired into the irregularities in securities and banking transactions which is placed in the Parliament.

विदेशी मुद्रा की तस्करी

962. **श्री आस मोहम्मद :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा गैर-कानूनी रूप से देश से बाहर भेजने के आरोप में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकिंग प्रणाली में भ्रष्टाचार

963. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को बैंकिंग प्रणाली के कार्यकरण प्रणाली में भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचित किया है कि सामान्यतया वे अलग-अलग मामलों में सलाह देते है। आयोग के सामने ऐसे दृष्टान्त आये है जहां बैंकों के अलग-अलग अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गए हैं। जानकारी में आई अनियमितताए मुख्यत: व्यक्तियों/संस्थाओं का अनुचित पक्ष लेने के लिए शक्ति का दुरुपयोग करने; विशेष पार्टियों का पक्ष लेने के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकार का अतिक्रमण आदि करने से संबंधित हैं।

बैंकों ने ऋण और अग्रिम मंजूर करने तथा संवितरित करने के लिए पहले ही कई प्रणालियां/नियम/मानदंड और प्रक्रियायें निर्धारित की हैं। जिन्हें ऋण प्रदान करने की शक्तियों से संबंधित विशिष्ट और निश्चित मार्गनिर्देश और